

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल -462004
(स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा, म.प्र. भोपाल)

क्रमांक 526/रूसा/बजट/2016

भोपाल, दिनांक 10/11/16

प्रति,

आहरण एवं संवितरण अधिकारी
DDO Code 0523802006
कार्यालय, संचालक
उच्च शिक्षा, संचालनालय, भोपाल।


विषय :- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा के अंतर्गत कॉम्पोनेन्ट - VII केंद्र शासन के आगामी किश्त प्राप्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश राशि का आहरण करने विषयक।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा रूसा कॉम्पोनेन्ट -VII अंतर्गत कुल 18 महाविद्यालाओ में अधोसंरचना विकास कार्य अनुमोदित है। इन अनुमोदित कार्य हेतु प्रति प्रति महाविद्यालय राशि रूप 2.00 करोड़ के मान से कुल 36.00 करोड़ की राशि अनुमोदित है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक F.No. 24-48/2014 U-Policy (MPIGUGC-Gen) Government of India MHRD, Dept of HE, New Delhi दिनांक 12.08.2015 कॉम्पोनेन्ट -7 के अंतर्गत 18 महाविद्यालाओ हेतु केन्द्रांश राशि रु 2,92,40,000 उपलब्ध हुए। प्राप्त केन्द्रांश के पश्चात् राज्यांश के अनुपात में राज्यांश राशि रु 1,57,60,000 को जोड़ते हुए कुल राशि 4,50,00,000 उपलब्ध था उपलब्ध राशि को प्रति महाविद्यालय में रु 25.00 लाख के मान से सम्बंधित 18 महाविद्यालयों में जारी भी कर दी गयी है।

सम्बंधित महाविद्यालाओ द्वारा लोक निर्माण विभाग -पी आई यू/ सी पी. ए. भोपाल के द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं वर्तमान में अधोसंरचना निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। निर्माण एजेंसी के पास निर्माण कार्य हेतु राशि का आभाव है। अधोसंरचना निर्माण का कार्य सतत रूप से जारी रह सके, इस हेतु निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए आगामी किश्त की मांग की जा रही हैं, परन्तु राशि के आभाव में आगे निर्माण कार्य बाधित होने की सम्भावना निर्मित हो गयी है।

उच्च शिक्षा विभाग के पास विषयांकित मद में 145.00 करोड़ राशि का प्रावधान वर्ष 2016-17 हेतु उपलब्ध हैं। भारत सरकार से केन्द्रांश राशि के रूप में राशि रुपये 18,67,60,000 प्राप्त होना अपेक्षित है।



केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में राज्यांश राशि की पात्रता राशि में से राशि रुपये 12,60,00,000 (बारह करोड़ साठ लाख) अग्रिम आहरण करने हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा अंतर्गत कॉम्पोनेन्ट VII की नास्ति क्रमांक 342/ रूसा/ 2016 के पृष्ठ क्रमांक 3-5 में प्राप्त है।

महाविद्यालयवार आहरित की जा सकने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	महाविद्यालय का नाम	मांग संख्या 44	मांग संख्या 64	मांग संख्या 41	कुल आवंटित राशि
1	Govt Hamidiya Arts and Commerce College Bhopal	5425000	1050000	525000	70,000,00
2	Govt Girls College Sehore	5425000	1050000	525000	70,000,00
3	Govt .Mahatma Gandhi Smrati College Itarsi	5425000	1050000	525000	70,000,00
4	Govt Home Science Girls P G College Hosangabad	5425000	1050000	525000	70,000,00
5	Govt P G College Datia	5425000	1050000	525000	70,000,00
6	Govt Adarsh Science College Gwalior	5425000	1050000	525000	70,000,00
7	Govt M L B Arts and Commerce College Gwalior	5425000	1050000	525000	70,000,00
8	Govt Girls College Khandwa	5425000	1050000	525000	70,000,00
9	Govt P G College Badwani	5425000	1050000	525000	70,000,00
10	Govt Shri Nilkantheswar P G College Khandwa	5425000	1050000	525000	70,000,00
11	Govt Mata Jija Bai Girls P G College, Moti Tabela Indore	5425000	1050000	525000	70,000,00
12	Govt M K B Arts and Commerce College Jabalpur	5425000	1050000	525000	70,000,00
13	Govt Rani Durgawati college Mandla	5425000	1050000	525000	70,000,00
14	Govt Girls P G College Sagar	5425000	1050000	525000	70,000,00
15	Govt P G College Bina	5425000	1050000	525000	70,000,00
16	Govt P G C18 college Tikamgarh	5425000	1050000	525000	70,000,00
17	Govt Sitaram Jaju Girls College Neemuch	5425000	1050000	525000	70,000,00
18	Govt. Geetanjali Girls College Bhopal	5425000	1050000	525000	70,000,00
	Total	97650000	18900000	9450000	12,60,00,000

अतः तृतीय त्रैमास में उपलब्ध आवंटन अनुसार निम्नानुसार बजट शीर्ष में आवंटन आवंटित किया जा कर अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है उक्त राशि निम्नानुसार बजट शीर्ष में विकलनिये होगी।

मांग संख्या	बजट शीर्ष	आहरित की जाने वाली राशि
मांग संख्या-44 (Gen)	44-4202-01-203-7600-0701-45-000	4,75,00,000
मांग संख्या-64 (S.C.)	64-4202-01-203-7600-0702-45-000	1,89,00,000
मांग संख्या-41 (S.T.)	41-4202-01-203-7600-0703-45-000	94,50,000
कुल योग		7,58,50,000

(राशि रुपये सात करोड अठावन लाख पचास हजार मात्र)

शेष आहरित की जाने वाली पात्रता अनुसार राशि निमानुसार बजट शीर्ष में विकलनिय होगी

मांग संख्या	बजट शीर्ष	आहरित की जाने वाली राशि
मांग संख्या-44 (Gen)	44-2202-03-800-7600-0701-42-007	5,01,50,000
कुल योग		5,01,50,000

(राशि रुपये पांच करोड एक लाख पचास हजार मात्र)


अतः उपरोक्तानुसार दो बजट शीर्षों में अंकित राशि को मिलाकर कुल राशि रुपये 12,60,00,000 (बारह करोड साठ लाख मात्र) का आहरण कर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा कार्यालय के Central Bank of India के बैंक खाता संख्या:3546082969 (IFSC Code:CBIN0283312) में जमा कराया जावे तथा आहरित राशि का व्यय निम्नांकित बिन्दुओं एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जावे। केन्द्रांश राशि प्राप्त होने पर आहरित राज्यांश राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करें।

- (1) राशि का आहरण तृतीय त्रैमास अन्तर्गत के पूर्व किया जाना है। अतः कृपया तत्काल आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- (2) महाविद्यालयों के उन्नयन कार्य हेतु कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव/प्राक्कलन परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (लोक निर्माण विभाग) के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रदत्त प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। उन्नयन निमार्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के रूसा दिशानिर्देश एवं मानदण्ड अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। प्रदत्त राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों में ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- (4) आहरित राशि को व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, (रूसा) भोपाल के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों ओर परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन किया जावे।
- (5) उन्नयन कार्यों में लगाने वाली आवश्यक सामग्रियों का क्रय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अधीन किया जावे।
- (6) व्यय राशि एवं क्रय सामग्री का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित यथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये, ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को यथा समय उपलब्ध कराया जा सके, एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो सके।

986

- (7) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे ।
 (8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की तथा संबंधित परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी होगी ।


“संचालक द्वारा अनुमोदित”


 अपर संचालक (वित्त)
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 10/11/16

पृ०क० 527 / 30/रूसा/बजट/2016
 प्रतिलिपि -

दि. 10/11/16

- विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा भोपाल ।
- निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
- अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ।
- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- परियोजना निदेशक, (पी.आई.यू.) लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल ।
- वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा भोपाल ।
- बजट शाखा प्रभारी, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर बजट अपलोड की आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- सम्बंधित कोषालय अधिकारी/ उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
- प्राचार्य, सर्व सम्बंधित ----- महाविद्यालय सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।


 अपर संचालक (वित्त)
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 10/11/16